परिशिष्ट अ
(14)

मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा०कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 4-25/2008/1/25, भोपाल, दिनांक 8/4/2008

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
भोपाल म०प्र०।

विषय- **गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्याख्यता एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण ।**

गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के संबंध में विभागीय निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्याख्याता /शिक्षक, शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त न तो कही संलग्न रहेगें और न ही गैर शैक्षणिक कार्य करेगें । इसके अतिरिक्त जो भी व्याख्याता/शिक्षक अन्य स्थान, विभाग में, अथवा अन्य दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये है **उन सब की सेवायें 01 अप्रैल 2008 से हटाकर उन्हें शैक्षणिक कार्य में लगाया जाये ।**

प्राचार्यो को छोडकर कोई भी व्याख्याता अथवा शिक्षक अन्य कही भी शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करता पाया गया तो संबंधित नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी की जवाबदेही होगी ।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

(जे०एन०कांसोटिया)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनु०जा०कल्याण विभाग

पृ० क्रमांक एफ 4-25/2008/1/25, भोपाल, दिनांक 8/4/2008

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, म०प्र०शासन आदिम जाति कल्याण विभाग ।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त,अनुसूचित जाति विकास/संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान/ आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें म०प्र०भोपाल ।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
7. संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल/ जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन/सागर ।
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश ।
9. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश ।
10. श्रीमती मंजुलता राघव व्याख्याता कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर मध्यप्रदेश ।
11. आर्डर बुक/स्थापना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनु०जा०कल्याण विभाग